न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र स0 04/2023

प्रार्थीयाः–

1. सायरदेवी पत्नी स्व. शंकरलाल जी जाति सोनी निवासी सोजत रोड़ तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान ।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. दिनेश सोनी पुत्र स्व. शंकरलाल जी जाति सोनी निवासी मालीयों की चौपड़ ब्यावर तहसील व जिला ब्यावर राजस्थान
2. संतोष सोनी पुत्र स्व. शंकरलाल जी जाति सोनी निवासी माल गौदाम रोड़ सोजत रोड़ तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007

उपस्थितः–

01. प्रार्थीया स्वयं उपस्थित।
02. अप्रार्थीगणसंख्या 01 व 02 स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 27/07/2023

अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने प्रा0 पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 23, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पेश किया किप्रार्थीया 79 वर्षीय वरिष्ठ विधवा नागरिक है। प्रार्थीया के दो पुत्र अप्रार्थीगण है, जो विवाहित है। प्रार्थीया के पति का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थीया के पति के स्वर्गवास के बाद से ही प्रार्थीया बारी बारी से अप्रार्थीगण के निवास स्थान पर रहती थी। अप्रार्थीगण प्रार्थीया के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते व प्रार्थीया को भला बुरा कोसते रहते थे। जब प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 2 के यहाँ निवास कर रही थी, तब दिनांक 27/06/2023 को अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 के यहाँ आया व दोनो ने प्रार्थीया के साथ गाली गलोच व मारपीट की। प्रार्थीया को डरा धमका कर जोर जबरदस्ती अपनी पत्नीयों की सिखावट में आकर व अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को अप्रार्थी संख्या 2 के घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। जिस पर प्रार्थीया ने अपनी पुत्री सुनीता को फोन पर उक्त सारी बात बताई। प्रार्थीया की पुत्री सुनीता ने अप्रार्थीगण के साथ समझाईस की, लेकिन अप्रार्थीगण को कोई असर नही हुआ। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया व उसकी पुत्री सुनीता को एलानियाँ धमकीयाँ दी कि आयन्दा इस घर में या ब्यावर में आये तो जान से खत्म कर देंगे। प्रार्थीया ग्राम सोजत रोड़ में छोटे से किराये के मकान में निवास कर रही है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया की किसी प्रकार से कोई सुध बुध नही ले रहे है, जबकि प्रार्थीया ने दोनो पुत्र अप्रार्थीगण का अच्छा लालन पालन कर उन्हें अच्छा पढ़ाया–लिखाया व विवाह आदि करवाया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर मानसिक व शारीरिक रूप से तंग व परेशान कर घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। पूर्व में भी कई बार अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ मारपीट की जा चुकी है। प्रार्थीया के पास आय का कोई साधन नही है तथा प्रार्थीया वृद्धावस्था के कारण अक्सर बीमार रहती है, जिस कारण मेहनत मजदूरी करने भी नही जा सकती है। प्रार्थीया के बुढ़ापे का सहारा अप्रार्थीगण के अलावा कोई नही है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया का भरण पोषण नही करते है तथा बीमार होने पर ईलाज भी नही करवाते है, जबकि प्रार्थीया ने अप्रार्थी की परवरीस कर उसको

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

खाने कमाने के लायक बनाया, तथा उनकी शादी की, लेकिन अप्रार्थीगण अपनी पत्नी की सिखावट में आकर प्रार्थीया की सेवा चाकरी नही कर रहे है। अप्रार्थीगण आर्थिक रूप से बहुत सक्षम है, तथा अप्रार्थी संख्या 1 सोने गढ़ाई का अच्छा कुशल कारीगर है, जो ब्यावर सोने गढाई का कार्य करता है, जो आसानी से प्रतिमाह 50000/- रूपये से अधिक आय प्राप्त करता है तथा अप्रार्थी संख्या 2 के सोजत रोड़ में सोने चाँदी की दुकान है व अप्रार्थी संख्या 2 सोने चाँदी के आभूषण बनाने का कुशल कारीगर है, जो प्रतिमाह आसानी से 70,000/– रूपये से अधिक की आय प्राप्त करता है। अप्रार्थीगण का नैतिक व विधिक कर्तव्य है कि वह अपनी वृद्ध बीमार माता की देख–भाल, भरण पोषण, ईलाज व रहने के लिये आवास इत्यादि करावे । अप्रार्थीगण व उनकी पत्नीयाँ प्रार्थीया के प्रति अच्छा सद्भाविक व्यवहार नही करते है, जिससे प्रार्थीया को उसके जान–माल का पुरा पुरा खतरा बना हुआ है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का अप्रार्थीगण वगैरा के साथ रहना सम्भव नही है। प्रार्थीया को सुविधा युक्त रहवासीय मकान हेतु 5,000/– रूपये प्रतिमाह अप्रार्थीगण से दिलावे एवम् प्रार्थीया को अप्रार्थीगण से भरण पोषण, चिकित्सा इत्यादि के प्रतिमाह 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये यानि कुल 15,000/– अक्षरे पन्द्राह हजार रूपये प्रतिमाह दिलावे तथा प्रार्थीया की अप्रार्थीगण वगैरा से जान–माल की सुरक्षा हेतु थानाधिकारी सोजत रोड़ को आदेश फरमावे। प्रार्थीया का निवास स्थान व रहवासीय मकान सोजत रोड़ में होने व अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया को सोजत रोड़ मकान से बाहर निकाल देने से उपरोक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र नियमानुसार शूल्क पर प्रस्तुत है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर प्रार्थीया को सुविधा युक्त किराये के मकान के लिये अप्रार्थीगण से प्रतिमाह 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये दिलावे एवम् अप्रार्थीगण प्रार्थीया के रहवासीय मकान में किसी प्रकार की बाधा एवम् व्यवधान उत्पन्न नही करने प्रार्थीया को अप्रार्थीगण से भरण पोषण, चिकित्सा इत्यादि के प्रतिमाह 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये यानि कुल 15,000/– अक्षरे पन्द्राह हजार रूपये प्रतिमाह दिलाने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया कर आदेश जारी कराने की ईश्तदुआ की है।

इस पर प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते सुनवाई हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या क्रमशः 01 व 02 स्वयं उपस्थित होकर अपना जबाब प्रा0 पत्र पेश कर अंकित किया है कि प्रार्थीया एक विधवा वृद्ध महिला हैं परन्तु प्रार्थीया के कुल 3 पुत्रगण थे, जिनमें से अप्रार्थीगण दो पुत्र है तथा एक पुत्र राकेश सोनी जिसकी कि पूर्व में मृत्यु हो चुकी है । इसके अतिरिक्त प्रार्थीया के कुल तीन पुत्रीयां भी है जिन्हें कि इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है और ना ही उनका उल्लेख किया गया है, जो कि प्रार्थीया की मंशा को उजागर करता है कि प्रार्थीया अपनी पुत्रीयों के बहकावे में आकर उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त कथन जिस प्रकार से लिखे गये है वो पूर्णतया मनगढन्त आधारहीन एवं कपोलकल्पित तथा झूठे होने से स्वीकार नही है तथा इन्कारी है। प्रार्थीया के पति एवं अप्रार्थीगण के पिता शंकरलाल सोनी का वर्ष 2013 में स्वर्गवास हुआ था। उसके पश्चात से अप्रार्थीगण एवं उनकी विधवा भाभी के द्वारा प्रार्थीया का अच्छी तरह से भरण पोषण एवं सेवा सुश्रूषा की जाती रही है। प्रार्थीया के द्वारा अप्रार्थीगण पर जो आरोप लगाये गये है, वो पूर्णतया मिथ्या तथा झूठे है। वास्तविकता में प्रार्थिया वमुकाम सोजत अपनी विधवा बहू एवं पोती के पास ही निवास कर रही थी परन्तु माह जून में प्रार्थीया अपनी पुत्रीयों के बहकावे में आकर उनके कहे अनुसार जरिये पुलिस कार्यवाही के अपना समस्त सामान इत्यादि

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

लेकर अपनी पुत्री सुनीता के पास चली गई थी। अप्रार्थी उत्तरकर्ता की पत्नी के समस्त जेवरात इत्यादि अपनी पुत्री सुनीता के पास रखकर पुनः पूर्व के मकान के पीछे वाली गली में कमरा लेकर रहना प्रारम्भ कर दिया। अप्रार्थीगण कभी भी प्रार्थीया से किसी भी प्रकार से कोई लडाई झगडा नही करते बल्कि येन केन प्रकारेण प्रार्थीया अप्रार्थीगण से लड़ाई झगडा करती है और अपनी वृद्धावस्था का गलत फायदा उठाकर आये दिन पुलिस थाना व श्रीमान के समक्ष झूठे झूठे परिवाद दर्ज कर अप्रार्थीगण को तंग परेशान एवं हैरान करते रहते है। चूंकि वास्तविकता में प्राचीया एक वरिष्ठ नागरिक एवं विधवा महिला होने से राज्य सरकार से प्रतिमाह 1500/– रूपये बतौर पेंशन प्राप्त करती चली आ रही है । अप्रार्थी संख्या 1 जिसके कि पास किसी भी प्रकार की कोई चल एवं अचल सम्पत्ति ना तो पूर्व में थी और ना ही वर्तमान मे है तथा स्थाई काम धंधा नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 बमुकाम ब्यावर में किराये का मकान लेकर पिछले करीब 8–9 वर्षो से लगातार निवास करता चला आ रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पास अपनी आय का कोई स्थाई स्त्रोत नहीं है, जिस कारण अद्यार्थी संख्या 1 की पत्नी के द्वारा जैसे तैसे सिलाई इत्यादि का कार्य कर अपना व अपने परिवार का सालन पालन एवं भरण पोषण कर रही है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के दो बच्चे है, जो कि वर्तमान में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 के पास किराये का मकान होने के कारण प्रार्थीया कभी भी उसके पास नही रही और ना ही रहे जाने का प्रश्न उत्पन्न होता है बल्कि प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 के गंभीर रूप से बीमार होने एव ब्लड चढने के दौरान भी अपनी पुत्र की देखभाल हेतु भी नहीं आई । वास्तविकता में अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा पुत्र होने के नाते समय समय पर अपनी माताजी की सार संभाल करने अपने परिवार सहित सोजत आता जाता रहा है तथा अपनी सुविधानुसार माताजी को खर्चे के पैसे वगैरह भी देता रहा है । मार्च 2020 में कोविड–19 कोरोना के कारण से अप्रार्थी संख्या पूर्णतया बेरोजगार है, जो कि रोजाना काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है तथा ड्राईवरी की जानकारी होने से कभी कभार बतौर ड्राईवर जाता रहता है। इसके साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 ने कभी भी अपनी माता अर्थात प्राथया को अपने साथ रखकर सेवा सुश्रुषा करने से मना नहीं किया । परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 की सीमित आय होने से तथा मात्र एक कमरा किराये पर होने के कारण प्रार्थीया कभी भी उनके साथ नही रहना चाहती थी और ना ही कभी रही । अप्रार्थी संख्या 1 प्रतिमाह 50,000/– रूपये नहीं कमाता है और ना ही 50,000/– रूपये से अधिक आय अर्जित करता है बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 की स्थाई आय का कोई स्त्रोत नही है तथा जैसे तैसे अप्रार्थी प्रतिमाह 7–8 हजार रूपये की आय अर्जित करता है। प्रार्थीया के द्वारा अप्रार्थी पर जो आरोप लगाये गये है, यो पूर्णतया झूटे एवं आधारहीन है। इसके अलावा प्रार्थीया ने झूठी शिकायत एवं रिपोर्ट देकर अनार्थी का जीवन दूभर कर रखा है। माननीय न्यायालय को गुमराह करने एवं सहानुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर एवं बढ़ा चढ़ा कर अंकित किये है, जिनमें किंचित मात्र भी सत्यता नही है । यह कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 व 5 में अंकित कथन कानूनी है । जवाब प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को सव्यय निरस्त किये जाने की ईश्तदुआ की है।

जवाब अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से पेश कर अंकित किया है कि प्रार्थीया का यह लिखना सही है कि प्रार्थीया की वर्तमान आयु 79 वर्ष है, लेकिन प्रार्थीया का यह लिखना सर्वथा गलत है कि प्रार्थीया के दो पुत्र अप्रार्थीगण है, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीया के तीन पुत्र थे, जिसमें से बड़े पुत्र राकेश का स्वर्गवास हो चुका है एवम् प्रार्थीया के तीन पुत्रीयाँ क्रमशः अन्जू देवी पत्नी मदनलाल निवासी नाथद्वारा, सुनीता पत्नी सुरेश सोनी निवासी मैन बाजार, सियाट तहसील सोजत व आशा सोनी

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

पत्नी राजीव सोनी निवासी घोसीवाड़ा, सोजत सिटी है । प्रार्थीया का यह लिखना सही है कि प्रार्थीया के पति का स्वर्गवास हो चुका है, शेष सम्पूर्ण तथ्य गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीया के पति के जीवनकाल में यानि सन् 2012 से पूर्व प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति दोनो अप्रार्थी संख्या 1 के साथ रहते थे, वर्ष 2012 के बाद स्व. भाई राकेश का परिवार जिसमें पत्नी कमला, तीन पुत्रीयॉ, व एक पुत्र, अप्रार्थी की पत्नी व दो बच्चे व अप्रार्थी स्वयं व माताजी व पिताजी सभी साथ रहते थे, जिस समय अप्रार्थी के पिता कैंसर की बीमारी से ग्रस्ति थे। जिनका गम्भीर बीमारी में ईलाज व सेवा–चाकरी, भरण पोषण, देख रेख इत्यादि अप्रार्थी संख्या 2 ने ही की थी तथा वर्ष 2013 में अप्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो गया। तब भी प्रार्थीया, अप्रार्थी संख्या 2 व कमला व उसके बच्चे सभी साथ ही वर्ष 2018 तक रहे, तब प्रार्थीया की पुत्री सुनीता व आशा ने प्रार्थीया को बहकावे में लेकर व अप्रार्थी संख्या 2 व उसकी गर्भवती पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा व मारपीट करवा कर अप्रार्थी संख्या 2 व उसकी पत्नी व बच्चो को घर से बाहर निकलवा दिया, मारपीट से अप्रार्थी संख्या 2 की पत्नी के पेट में चोट आने से डी.एम.सी. करवानी पड़ी। तब से अप्रार्थी संख्या 2 अलग किराये के मकान में निवास कर रहा है, तब भी अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थीया को अपने साथ रखने हेतु व साथ साथ रहने हेतु काफी समझाईस की, लेकिन प्रार्थीया व उसकी पुत्रीयॉ नही मानी, तब से यानि वर्ष 2018 से दिनांक 27/06/2023 तक प्रार्थीया व कमला साथ साथ निवासरत थे, जहाँ से भी अप्रार्थी संख्या 2 की बहिनो सुनीता व आशा के बहकावे में आकर अप्रार्थी संख्या 2 की विधवा भाभी कमला से झगड़ा करवा कर प्रार्थीया को वहाँ से लेकर चली गई, जहाँ मौके पर पुलिस भी आई थी, जिसके बाद अप्रार्थी संख्या 2 की बहिन सुनीता व आशा ने प्रार्थीया को उसी मौहल्ले में किराया का मकान अप्रार्थीगण की बदनामी करवाने के लिये दिलवाया, तथा कानूनी सलाह मशवरा से उक्त मिथ्या कार्यवाही की जा रही है। उक्त पद में दिनांक 27/06/2023 की घटना पूर्णतः मिथ्या है। अप्रार्थी संख्या 2 ने कभी भी प्रार्थीया के साथ मारपीट नही की, न ही गाली गलोच की, न ही धक्के देकर कभी घर से बाहर निकाला है। अप्रार्थी संख्या 2 ने हमेशा प्रार्थीया के साथ अच्छा व्यवहार किया है, प्रार्थीया के बीमार रहने पर उनका ईलाज करवाया है। अप्रार्थी संख्या 2 ने कभी भी प्रार्थीया के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर मानसिक व शारीरिक रूप से तंग व परेशान नही किया है। मात्र प्रार्थीया अपनी पुत्री सुनीता व आशा की सिखावट में आकर अप्रार्थी संख्या 2 को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से झूठी कार्यवाही की जा रही है। अप्रार्थी संख्या 2 मेहनत मजदूरी पेशा व्यक्ति है जो सोने चाँदी के आभूषण बनाने की अस्थाई मजदूरी करता है। अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं किराये के मकान में रहता है, जिसकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, जिसके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते है। प्रार्थीया स्वयं अपनी मनमर्जी से व उसकी बेटीयों की सिखावट में आकर कमला पत्नी राकेश के निवास स्थान से गई है, जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 ने काफी हाथा जोडी की, लेकिन कोई असर नही हुआ। वर्ष 2018 में अप्रार्थी संख्या 2 के घर छोड़ने के बाद अप्रार्थी बीमार रहा, किन्तु प्रार्थीया मिलने नही आई फिर वर्ष 2020 में अप्रार्थी संख्या 2 का एक्सीडेन्ट हुआ, तब अप्रार्थी संख्या 2 तीन महिने तक बैड रेस्ट पर रहा तथा दौराने ईलाज अप्रार्थी संख्या 2 के बच्चों को भी पड़ौसीयों ने सम्भाला तब भी प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 2 की बहिने मिलने तक नही आई अप्रार्थी संख्या 2 आज दिन तक बहुत ही मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है। जिस वजह से उसको हाल ही में हार्ड अटेक आया, जिसका भी ईलाज चल रहा है। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 2 की बहिने मिलने तक नही आई, तब से अप्रार्थी संख्या 2 हार्ड का मरीज है। अप्रार्थी संख्या 2 व उसकी पत्नी ने प्रार्थीया की सेवा चाकरी में कोई कमी नही रखी है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 2 की आय के बारे में मनगढ़त तथ्य अंकित किये है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने नैतिक व विधिक कर्तव्य का पालन किया है। तथा अप्रार्थी संख्या 2 अपनी माता प्रार्थया के साथ रहता था, तथा उनका भरण पोषण करता था। बीमार होने पर ईलाज करवाता था, लेकिन प्रार्थीया अपनी पुत्रीयों की सिखावट में आकर, बिना युक्तियुक्त कारण के किराये के मकान में रह रही है। उपरोक्त पद में सम्पूर्ण तथ्य मनगढ़त होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया का यह लिखना सर्वथा गलत है कि अप्रार्थीगण व उनकी पत्नीयाँ प्रार्थीया के प्रति अच्छा/सद्भाविक व्यवहार नही करते है। जिससे प्रार्थीया को उसके जान–माल का पुरा पुरा खतरा बना हुआ है। जबकि वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने ही अपने पिता का बीमारी में ईलाज करवाया है। तथा उनकी मृत्यु के बाद तमाम सामाजिक क्रियाक्रम किये है। उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीया के साथ रह कर उनका भरण पोषण किया है। बीमार होने पर ईलाज करवाया है तथा अपने पुत्र कर्तव्य का पालन किया है तथा अपनी बहिनो का व परिवार का सामाजिक खर्चा वहन किया है तथा प्रार्थीया की हर इच्छा की पूर्ति की है। अप्रार्थी संख्या 2 की बहिने सुनीता व आशा अप्रार्थी संख्या 2 की शादी के खिलाफ थी, क्योंकि अप्रार्थी संख्या 2 ने कोर्ट मैरिज की थी, व बहिने घृणा करती थी कहती थी कि तू उल्टा बच्चलन है, मेरे भाई को फसाया है, इसलिये तुने कोर्ट मैरिज की है, तेरे पाँव फैरे से हम बरबाद हो गये है, तू पनोती है, तेरे आने से हमारे पिता व भाई की मौत हो गई है। अप्रार्थी संख्या 2 की बहिने सुनीता व आशा हर समय प्रार्थीया को अप्रार्थी संख्या 2 व उसकी पत्नी के खिलाफ भड़काती व उकसाती एवम् अप्रार्थी संख्या 2 की पत्नी के साथ मारपीट करती व कहती कि तेरे आने से हमारे पिताजी व भाई का स्वर्गवास हो गया है, जिनकी बातो में प्रार्थीया आकर बिना किसी युक्तियुक्त कारण के किराये के मकान में निवास कर रही है, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 व उसकी पत्नी ने कभी भी प्रार्थीया को घर से नही निकाला है। अप्रार्थी संख्या 2 आज भी प्रार्थीया को अपने साथ रख भरण पोषण करने हेतु तैयार है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थीया को काफी साथ रखने के काफी प्रयास किये है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 की बहिने परिवार को एक नही होने दे रही है। अतः सम्पूर्ण पैरा गलत होने से अस्वीकार है। प्रा0 पत्र के पद संख्या 04 व 05 कानूनी होना अंकित किया है।

बहस उपस्थित प्रार्थीया की सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीया ने प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 स्वीकार किये जाने तथा अप्रार्थीगण संख्या 01, दिनेष सोनी व 02, संतोष सोनी द्वारा प्रतिमाह 15000/– रूपये प्रार्थीया को भरण–पोषण का खर्चा बतौर प्रतिमाह देने हेतु आदेशित किये जाने हेतु निवेदन किया है। बहस के जबाब में अप्रार्थीगण ने उक्त प्रा0 पत्र कपोल कल्पित व झूठा होना बताया जाकर खारीज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

हमने प्रार्थना पत्र का गहनता से अध्ययन किया । प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं समस्त दस्तावेजात प्रार्थीया को प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में सुना गया। प्रार्थीया वर्तमान में अपनी पुत्री के यहा निवास कर रही है। एवं अपने पुत्रों से भरण पोषण हेतु खर्चा दिलाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थीया के तीन पुत्र बताये गये है। जिनमें से एक पुत्र का देहान्त होना बताया गया है। प्रार्थीया पूर्व मे इन्ही के पास रहती थी ये तथ्य भी न्यायालय के समक्ष आये है। सम्पूर्ण तथ्यो के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि प्रार्थीया अपनी स्वईच्छा से दोनो पुत्र व पुत्र वधु में से ईच्छाअनुसार एक के साथ रहवास करे एवं दोनो पुत्र व पुत्र वधु प्रार्थीया को भोजन, चिकित्सा, दवाईयां, कपड़े आदि की व्यवस्था अर्थात् भरण–पोषण के रूप में 1500/– प्रस्तुत 1500/– रूपये खर्चा अपनी माता/ सास को देवे। लिहाजा प्रार्थीया द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
जिला–पाली